जिला स्वास्थ्य समिति, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी

पुर्न निविदा आमंत्रण सूचना

एतद् द्वारा निदेशानुसार, पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत रोगियों को बेहतर एवं गुणवत्तापूर्ण सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सदर अस्पताल एवं जिला अन्तर्गत सभी रेफरल अस्पताल/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में निम्नलिखित सुविधाएँ प्रदान करने हेतु द्वि लिफाफा पद्वति (तकनिकी एवं वित्तीय निविदा) के माध्यम से इच्छुक आपूर्तिकर्त्ताओं से मुहरबंद निविदाएँ दैनिक समाचार पत्रों में प्रथम प्रकाशन की तिथि से पन्द्रह दिनों के अंदर सभी कार्य दिवस के संध्या 5.00 बजे तक सिविल सर्जन सह सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति, पूर्वी चम्पारण, सदर अस्पताल कैम्पस, मोतिहारी, पिन कोड– 845401 के पते पर आमंत्रित की जाती है ।

सुविधा :–

(B) **अंतःवासी रोगियों हेतु खान–पान की आपूर्ति**
कार्य संबंधित विवरणी :–

प्रकार	समय	दिये जाने वाले सामग्री का नाम
सुबह का नास्ता	8.00 बजे	6 (छः) पावरोटी, 1 अंडा, 200 मि० लीटर दूध एवं 1 मौसमी फल यथा केला, नारंगी, सेव इत्यादि
दोपहर का खाना	12.30 बजे	रोटी 100 ग्राम एवं अच्छा चावल –150 ग्रा०, दाल–50, ग्रा० सब्जी 100 ग्रा०, ताजा दही –100 ग्रा०।
शाम का नास्ता	5.00 बजे	4 पीस ग्लूकोज विस्किट, 1 कप चाय
रात का खाना	8.00 बजे	रोटी 5 पीस (100 ग्रा०) दाल 50 ग्रा० एवं सब्जी 100 ग्रा०

नोट :– विशेष रूप से बीमार मरिजो के हित में चिकित्सा पदाधिकारी के परामर्श के अनुरूप खाने–पीने की आपूर्ति अलग से करनी होगी।

(i) खाद्यो की गुणवता की जॉच समय–समय पर सदर अस्पताल, मोतिहारी में उपाधीक्षक सदर अस्पताल द्वारा तथा प्रा० स्वा० केन्द्रो पर प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा की जायेगी उनके प्रतिवेदन के आधार पर ही भुगतान सुनिश्चित की जायेगी। यदि अंतः कक्ष में एक भी मरीज भर्ती है तो उसके खान–पान की आपूर्ति करना अनिवार्य होगा। आपूर्ति नहीं करने पर अग्रधन की राशि जप्त कर ली जायेगी।

(ii) खाद्य सामग्री की अपूर्ति अस्पताल द्वारा निर्धारित समय पर उच्च स्तरीय स्वच्छता एवं गुणवत्ता का होना चाहिये तथा इसका वितरण बंद ट्राली से किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा एकरारनामा रद्द कर दिया जायेगा।

(iii) रसोई स्थल अस्पताल परिसर में ही अवस्थित रखना होगा तथा उसमें आवश्यक उपकरण यथा फ्रिज, वाटर कुलर, वाटर हिटर, डीप फ्रिजर आदि का होना अनिवार्य होगा, ताकि पदाधिकारियों द्वारा समय समय पर जाकर खाद्य निर्माण प्रक्रिया की स्वच्छता एवं गुणवत्ता की जॉच की जायेगी। सभी कार्यरत कर्मियों को विधिवत ड्रेस कोड में रहना अनिवार्य होगा।

(iv) निविदादाता को रसोई घर में 24 घंटे बिजली–पानी एवं जेनरेटर की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।

(v) प्रायः यह देखा जाता है कि एक ही संवेदक/व्यक्ति/ निविदादाता द्वारा पूरे जिला का कार्य ले लिया जाता है जिस कारण गुणवतापूर्ण सुविधाएँ नहीं दी जा पाती है, इसलिये निर्णय लिया गया है कि निविदा ग्रुपवार होगा तथा किसी भी संवेदक/व्यक्ति/निविदादाता द्वारा पूरे जिला हेतु दो से अधिक ग्रुप हेतु

निविदा नहीं दिया जा सकता है, अलग–अलग ग्रुप के लिए निविदा अलग–अलग अनिवार्य है। निविदा के लिफाफे पर सुविधा का नाम. एवं ग्रुप संख्या अंकित करना अनिवार्य होगा ।

10.	अरेराज अनुमण्डल अन्तर्गत रेफरल अस्पताल अरेराज, सामुदायिक/प्रा० स्वा०केन्द्र अरेराज सहित) प्रा०स्वा०केन्द्र पहाड़पुर, संग्रामपुर एवं प्रा०स्वा०केन्द्र हरसिद्वि (कुल संस्थान–04 अति०प्रा०स्वा० केन्द्र तथा स्वा०उपकेन्द्र (आवश्यकता अनुसार)	अंतवासी रोगियो हेतु खान–पान प्रति केन्द्र(वर्ष 2014–15 में कुल भर्ती मरीजो की मासिक औसत संख्या	(क) विगत तीन कर निर्धारण वर्षो यथा वित्तीय वर्ष (Financial Yaer) 2012–13, 2013–2014 एवं 2014–2015 का अंकेक्षण प्रतिवेदन (Audit Report) (तीन वर्षो का औसत वार्षिक टर्न ओभर 50 लाख या अधिक होनी चाहिए) ऑडिट रिर्पोट के साथ संबंधित Finacial Year का इन्कॉम टैक्स रिटर्न की छाया प्रति सलग्न करनी चाहिए । (ख) अग्रधन के रूप में 20000/–रू० का बैंक ड्राफ्ट जो कि जिला स्वास्थ्य समिति, पूर्वी चम्पारण के नाम भुगतेय हो संलग्न करें। (ग) संस्थान के नाम से चल रहे बैंक खाते की स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति, जिसमें 50 हजार या उससे अधिक का तरल जमा होना चाहिए। (घ) शेष योग्यता ग्रुप संख्या :– 8 के अनुरूप होगी।	................रू० दर प्रति रोगी प्रतिदिन सभी कर सहित। (अधिकतम दर रू० 100/–) साथ ही न्यूनतम दर अधिकतम मूल्य से 10 प्रतिशत तक कम हो सकता है।
12.	सिकरहना अनुमण्डल अन्तर्गत रेफरल अस्पताल ढ़ाका (प्रा०स्वा०केन्द्र ढ़ाका सहित) सामुदायिक/प्रा० स्वा०केन्द्र घोड़ासहन, बनकटवा एवं प्रा०स्वा०केन्द्र चिरैया (कुल संस्थान– 04) अति०प्रा०स्वा० केन्द्र तथा स्वा०उपकेन्द्र (आवश्यकता अनुसार)	अंतवासी रोगियो हेतु खान–पान प्रति केन्द्र(वर्ष 2014–15 में कुल भर्ती मरीजो की मासिक औसत संख्या	(क) विगत तीन कर निर्धारण वर्षो यथा वित्तीय वर्ष (Financial Yaer) 2012–13, 2013–2014 एवं 2014–2015 का अंकेक्षण प्रतिवेदन (Audit Report) (तीन वर्षो का औसत वार्षिक टर्न ओभर 50 लाख या अधिक होनी चाहिए) ऑडिट रिर्पोट के साथ संबंधित Finacial Year का इन्कॉम टैक्स रिटर्न की छाया प्रति सलग्न करनी चाहिए । (ख) अग्रधन के रूप में 20000/–रू० का बैंक ड्राफ्ट जो कि जिला स्वास्थ्य समिति, पूर्वी चम्पारण के नाम भुगतेय हो संलग्न करें। (ग) संस्थान के नाम से चल रहे बैंक खाते की स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति, जिसमें 50 हजार या उससे अधिक का तरल जमा होना चाहिए। (घ) शेष योग्यता ग्रुप संख्या :– 8 के अनुरूप होगी।	................रू० दर प्रति रोगी प्रतिदिन सभी कर सहित। (अधिकतम दर रू० 100/–) साथ ही न्यूनतम दर अधिकतम मूल्य से 10 प्रतिशत तक कम हो सकता है।

सुविधा :–

(D) Silent Generator द्वारा वैकल्पिक विधुत आपूर्ति कार्य

कार्य संबंधित विवरणी :–

(क) बिजली बाधित रहने या कम वोल्टेज रहने की स्थिति में 24 घंटे जेनरेटर सेवा उपलब्ध कराना होगा ।

(ख) जेनरेटर सेवा अस्पतालों में अवस्थित सभी कार्यालयों/भवनों/वार्डो/डयूटी रूम/बरामदों/ग्लो साईन बोर्ड/स्ट्रीट लाईट/ओ०टी०/ब्लड बैंक/एक्स–रे रूम/ए०सी० (उपलब्ध होने पर)/कोल्ड चेन रूम (आर०सी०एच०) इत्यादि में देना होगा । परिसर में अवस्थित कोई भी आवासीय भवन इसमें सम्मिलित

नहीं होगा। सदर अस्पताल मोतिहारी में आर0डी0सी0, ओ0पी0डी0 एवं डी0एच0एस0 भवन में **24X7** विद्युत आपूर्ति करना होगा।

(ग) जेनरेटर सेवा में तार/स्वीच/बल्ब/चेंजर एवं अन्य की आवश्यकता पड़ने पर उसका वहन संस्था को करना होगा। जेनरेटर से अस्पताल के मेन स्वीच एवं अन्य सभी जगहों पर जहाँ विधुत आवश्यक हो, तक का वायरिंग इत्यादि चयनित एजेन्सी को करना होगा।

(घ) आपातकालीन सेवा के लिए अतिरिक्त उसी क्षमता का जेनरेटर की व्यवस्था संस्था को रखनी होगी ।

(ड़) जेनरेटर खराब होने की स्थिति में अथवा रख–रखाव के दृष्टिकोण से बंद करने की स्थिति में वैकल्पिक व्यवस्था आपूर्तिकर्त्ता को करनी होगी।

(च) बिजली सप्लाई कटने पर 2 मिनट के अन्दर जेनरेटर सेवा चालू करनी होगी। बिजली सप्लाई एवं जेनरेटर सेवा दोनों मिलाकर बिजली आपूर्ति 24 घंटा होगी।

छ) उपरोक्त सेवा में त्रृटि पाये जाने पर अनुपातिक कटौती एवं दण्डात्मक कारवाई की जायेगी । निर्धारित वोल्टेज से कम वोल्टेज पर विधुत आपूर्ति करने पर भुगतेय राशि में से 10 प्रतिशत की कटौती की जायेग। पुनरावृति होने पर संविदा रद्द कर दी जायेगी।

(ज) जेनरेटर का तेल, मोबिल, ऑपरेटर, मरम्मत एवं रख–रखाव सभी कार्य का वहन निविदादाता को करनी होगी ।

(झ) सम्पूर्ण परिसर में खम्भे पर रौशनी/वैपर लाईट का प्रबंध संबंधित एजेन्सी को करना होगा ।

(ट) प्रायः यह देखा जाता है कि एक ही संवेदक/व्यक्ति/ निविदादाता द्वारा पूरे जिला का कार्य ले लिया जाता है जिस कारण गुणवतापूर्ण सुविधाएँ नहीं दी जा पाती है, इसलिये निर्णय लिय गया है कि निविदा ग्रुपवार होगा तथा किसी भी संवेदक/व्यक्ति/ निविदादाता द्वारा पूरे जिला हेतु दो से अधिक ग्रुप हेतु निविदा नहीं दिया जा सकता है, अलग–अलग ग्रुप के लिए निविदा अलग–अलग अनिवार्य है। निविदा के लिफाफे पर सुविधा का नाम एवं ग्रुप संख्या अंकित करना अनिवार्य होगा ।

ग्रुप संख्या	कार्य स्थल	सुविधा का नाम	तकनीकी योग्यता	वित्तीय निविदा
22.	सदर अस्पताल (कुल संस्थान–01)	Silent Generator द्वारा वैकल्पिक विधुत आपूर्ति (125KVA- Kirloskar या Mahindra या Eicher या Ashok Leyland का साईलेन्ट जेनरेटर ही मान्य होगा ।	निविदाकर्त्ता को निम्न दस्तावेज/ड्राफ्ट इत्यादि समर्पित करना होगा (क) आयकर स्थाई लेखा संख्या (ख) सेवा कर अन्तर्गत निबंधन प्रमाण पत्र (ग) वाणिज्य कर अन्तर्गत निबंधन प्रमाण पत्र (घ) विगत तीन कर निर्धारण वर्षो यथा वित्तीय वर्ष (Finacial Year) 2012–13, 2013–2014 एवं 2014–15 अंकेक्षण प्रतिवेदन (Audit Report) तीन वर्षो का औसत वार्षिक टर्न ओभर 50 लाख या अधिक होना चाहिए, ऑडिट रिर्पोट के साथ संबंधित Financial Year का इन्कॉम रिटर्न की छाया प्रति संलग्न रहनी चाहिए । (ड) भविष्य निधि अन्तर्गत निबंधन प्रमाण–पत्र	प्रपत्र 'ग' में संलग्न करे।

			(च) मजिस्ट्रेट / Notary Public के समक्ष दायर इस आशय का प्रमाण पत्र कि निविदादाता को किसी कार्यालय द्वारा काली सूची में कभी दर्ज नहीं किया गया तथा निविदादाता को किसी न्यायालय (छ) अग्रधन के रूप में 50000/– रूपये का बैक ड्राफ्ट जो कि जिला स्वास्थ्य समिति, पूर्वी चम्पारण के नाम भुगतेय हो संलग्न करें। (ज) संस्थान के नाम से चल रहे बैंक खाते की स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति जिसमें 2 लाख रूपया या उससे अधिक का तरल जमा होना चाहिए ।	

प्रपत्र 'ग'

जनरेटर की क्षमता	10KVA	15KVA	25KVA	65KVA	125KVA
दर (प्रतिघंटा, तेल, मोबिल, ऑपरेटर आदि सभी खर्च सहित)					

तकनीकि एवं वित्तीय निविदा हेतु शर्ते एवं आवश्यक अर्हताएँ :–

1. ऐसी कोई भी संस्था जिसपर किसी भी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अथवा किसी भी संस्थान द्वारा कार्य में असंतोष, कार्य आवंटन के उपरान्त कार्य करने हेतु एकरारनामा नहीं किया गया हो या एकरारनामा उपरान्त कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया हो वैसे संस्था निविदा में भाग नहीं लेगे ।
2. प्रत्येक अनुमण्डल अन्तर्गत कार्यरत संस्थान जैसे– रेफरल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, अति०प्रा०स्वा०केन्द्र एवं उप स्वास्थ्य केन्द्र हेतु अलग–अलग दर अलग–अलग मुहरबंद लिफाफे में दिया जाना है ।
3. तकनीकि एवं वित्तीय निविदा अलग–अलग दो मुहरबंद लिफाफे में जिनपर तकनीकि एवं वित्तीय निविदा दर्शाया हुआ हो, एक तीसरे बड़े लिफाफे में रखते हुए मुहरबंद कर भेजना अनिवार्य होगा तथा लिफाफे के उपर सुविधा एवं ग्रुप संख्या अंकित करना होगा ।
4. निविदा दिनांक......................को ....बजे पूर्वाहन् में जिला पदाधिकारी सह अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति पूर्वी चम्पारण के कार्यालय प्रकोष्ट में खोली जायेगी जिसमें निविदादाता स्वयं या उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति उपस्थित रह सकते है । उनके अनुपस्थिति में भी निविदा खोला जायेगा एवं बाद में किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा ।
5. तकनीकि रूप से स्वीकृत निविदादाताओं का ही वित्तीय निविदा खोला जायेगा ।
6. किसी प्रकार का विवाद होने पर न्यायिक क्षेत्र पूर्वी चम्पारण होगा ।
7. प्रत्येक संस्थानों में उपरोक्त वर्णित सेवाओं के लिए सामग्री, तेल मोबिल, रख–रखाव एवं सेवा उपलब्ध कराने के लिए आनेवाली सभी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष व्यय निविदादाता द्वारा वहन किया जायेगा तथा निविदादाता द्वारा अपने कर्मियों को पोशाक एवं परिचय पत्र देना होगा ।

सभी संस्थानों में संस्था का एक प्रतिनिधि होना आवश्यक है उनका नाम एवं मोबाईल नम्बर देना होगा। निविदादाता को अपना पूरा पता, मोबाईल नं०/दूरभाष संख्या का उल्लेख निविदा में करना होगा ।

9. किसी भी निविदा को पूर्णतः या अंशत निरस्त करने का अधिकार समिति को सुरक्षित एवं समिति का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा ।
10. दर निर्धारण के बाद आवश्यकता अनुसार एवं कार्य को देखते हुए आवंटन एक या एक से अधिक संस्था को अनुमोदित दर पर आवंटित करने का अधिकार समिति को सुरक्षित रहेगा ।
11. आवश्यक कर कटौती के बाद ही भुगतान होगा ।
12. निविदा सिर्फ निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट के द्वारा निर्धारित समय तक प्राप्त की जायेगी । त्रुटिपूर्ण एवं निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त निविदा स्वीकार्य नहीं होगा ।
13. उपरोक्त सभी सेवा के विरूद्व विपत्र का भुगतान अवधि निश्चित नहीं होगी । सरकार से आवंटन प्राप्त होने और प्रचारिक आदेशों के अनुसार भुगतान किया जायेगा। भुगतान नहीं होने की स्थिति में आपूर्ति रोकने पर कानूनी कारवाई संबंधित संवेदक के विरूद्व की जायेंगी ।
14. किसी निविदा को कभी भी समिति निरस्त कर सकती है एवं समिति का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा ।
15. विपत्र पर उपाधीक्षक सदर अस्पताल मोतिहारी एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों/रेफरल अस्पतालों पर प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र देना होगा कि सभी कार्य संतोषप्रद है एवं उसके आधार पर ही भुगतान होगा ।
16. निविदा में उल्लेखित कार्यो के लिए किसी प्रकार का अग्रिम भुगतान देय नही होगा ।
17. खान–पान सेवा के रूप में 300000/– (तीन लाख) एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों/रेफरल अस्पतालों के लिए रूपया 20000/– प्रति ईकाई जिला स्वास्थ्य समिति मोतिहारी के पक्ष में समर्पित करना अनिवार्य होगा यथा सेवा में अनियमितता अथवा त्रुटि पाये जाने पर अनुबंध रद्द करते हुए बैंक गारंटी जप्त कर ली जायेगी ।
18. खान–पान सेवा हेतु सामानों की आपूर्ति निर्धारित समय से आधा घंटा पूर्व मरीजों की संख्या के अनुसार पथ्य आपूर्ति करना होगा ।
19. आन्तरिक साफ–सफाई एवं बाहरी परिसर की सफाई तथा रख–रखाव से संबंधित सेवाओं हेतु सदर अस्पताल के लिए चयनित एजेन्सी को एकरारनामा के समय सुरक्षित जमा राशि के तौर पर बैंक गारंटी के रूप में 1 लाख 50 हजार रूपया एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/रेफरल अस्पताल हेतु रू० 20 हजार प्रति इकाई जिला स्वास्स्थ्य समिति, मोतिहारी के पक्ष में समर्पित करना अनिवार्य होगा तथा सेवा में अनियमितता एवं त्रुटि पाये जाने पर बैंक गारन्टी जप्त कर ली जायेगी ।
20. धुलाई से संबंधित सेवाओं हेतु सदर अस्पताल के लिए चयनित एजेन्सी को एकरारनामा के समय सुरक्षित जमा राशि के तौर पर बैंक गारन्टी के रूप में रू० 50 हजार एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों/रेफरल अस्पतालों हेतु रू० 20 हजार प्रति ईकाई जिला स्वास्थ्य समिति मोतिहारी के पक्ष में समर्पित करना अनिवार्य होगा तथा सेवा में अनियमितता एवं त्रुटि पाये जाने पर बैंक गारन्टी जप्त कर ली जायेगी ।
21. जेनरेटर द्वारा विधुत आपूर्ति से संबंधित सेवाओं के लिए चयनित एजेन्सी को एकरारनामा के समय सुरक्षित जमा राशि बैंक गारन्टी के रूप में सदर अस्पताल के लिए 2 लाख रूपये, रेफरल अस्पताल के लिए 1 लाख रूपये प्रति ईकाई तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिए 70000/– प्रति ईकाई जिला स्वास्थ्य सिमित मोतिहारी के पक्ष में समर्पित करना अनिवार्य होगा तथा सेवा मे अनियमितता अथवा त्रुटि पाये जाने पर अनुबंध रद्द करते हुए बैंक गारन्टी जप्त कर ली जायेगी ।
22. सभी सेवाओं पूरी तरह संबंधित स्वास्थ्य संस्थान के उपाधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के अधीन एवं निर्देशानुसार कार्य करेंगी ।
23. आवंटित कार्य के **Sub Contracting** की अनुमति किसी भी परिस्थिति में मान्य नहीं होगा। इस आशय का **Undertaking** तकनीकि निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा तथा किसी भी समय **Sub Contracting** यदि दिया जाता है तो कार्यादेश वापस लेते हुए बैंक गारन्टी की राशि एवं सुरक्षित राशि को जप्त करते हुए संबंधित संस्था पर कानूनी कार्यवाई की जायेगी ।
24. कार्य में किसी भी प्रकार की अनियमितता अथवा शिकायत पाये जाने पर अनुबंध समाप्त किया जा सकता है।

इसे http://eastchamparan.bih.nic.in पर भी देखी जा सकती है ।

सिविल सर्जन सह सदस्य सचिव
जिला स्वास्थ्य समिति
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी ।

ज्ञापांक 1830 /DHS / मोतिहारी, दिनांक 31.12.2016

प्रतिलिपिः– जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी पूर्वी चम्पारण मोतिहारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपिः– निदेशक राज्य सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि निविदा को डी०ए०भी०पी०दर पर किन्ही तीन राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने की कृपा की जाय ।

सिविल सर्जन सह सदस्य सचिव
जिला स्वास्थ्य समिति
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी ।